

राजद्रोह कानून

प्रलिस के लयल:

राजद्रोह, धारा 124A, सर्वोच्च नयायालय, IPC, अनुच्छेद 19

मेन्स के लयल:

राजद्रोह कानून - महत्त्व और मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने सर्वोच्च नयायालय को बताया है कलसरकार ने भारतीय दंड संहता (IPC) की धारा 124A (राजद्रोह) की "पुनः परीक्षा की प्रक्रया" शुरू कर दी है और इस संबंध में परामर्श अपने "अंतिम चरण" में हैं।

- मई 2022 में नयायालय ने एक अंतरमि आदेश में देश भर में धारा 124A के तहत लंबति आपराधिक मुकदमों और नयायालयी कार्यवाही को रोकते हुए धारा 124A के उपयोग को नलिंबति कर दिया था।

राजद्रोह कानून:

- ऐतलसकल पृष्ठभूमल:
 - राजद्रोह कानून को 17वीं शताबदी में इंग्लैंड में अधनलयमति कयल गया था, उस समय वधलनरलमाताओं का मानना था कलसरकार के प्रतलअच्छी राय रखने वाले वधलारों को ही केवल असततलत्व में या सार्वजनकल रूप से उपलब्ध होना चाहलल,क्योंकल गलत राय सरकार तथा राजशाही दोनों के लयल नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी।
 - इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में बरटलशल इतलसकार और राजनीतजलज्ज थॉमस मैकाले द्वारा तैयार कयल गया था, लेकनल वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहता (IPC) लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं कयल गया।
 - धारा 124A को 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश कयल गए एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जब उन्होंने अपराध से नपलटने के लयल एक वशलषलट खंड की आवश्यकता महसूस की थी।
 - वर्तमान में भारतीय दंड संहता (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है।
- वर्तमान में राजद्रोह कानून:
 - भारतीय दंड संहता (IPC) की धारा 124A:
 - यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परभलषतल करता है जसलमें 'कसी वयक्तलद्वारा भारत में कानूनी तौर पसुथापतल सरकार के प्रतलभौखकल, लखतल (शबदों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा अथवा अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न कयल जाता है।
 - वदलरोह में वैमनस्य और शत्रुता की भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकल इस धारा के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशलशल कयल बगैर की गई टपलपणयों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं कयल जाता है।
 - बलवंत सलहल बनाम पंजाब राज्य (1995) मामले में सर्वोच्च नयायालय ने दोहराया कलभलषण को देशद्रोही करार देने से पहले उसके वास्तवकल इरादे को ध्यान में रखा जाना चाहलल।
- दंड:
 - राजद्रोह में गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उमरकैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
 - इस कानून के तहत आरोपतल वयक्तलको सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है।
 - आरोपतल वयक्तलको पासपोर्ट के बना रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पडने पर उसे नयायालय में पेश होना जरूरी है।

राजद्रोह कानून का महत्त्व:

- **उचित प्रतिबंध**
 - भारत का संविधान अपने नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
 - हालाँकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ परिस्थितियों में इसे प्रतिबंधित कर सकती है ताकि इसका दुरुपयोग न हो।
 - इन प्रतिबंधों को उचित माना जाता है और संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित किया गया है।
- **एकता और अखंडता बनाए रखना:**
 - राजद्रोह कानून सरकार को राष्ट्र-विरुद्ध, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का मुकाबला करने में मदद करता है।
- **राज्य की स्थिरता को बनाए रखना:**
 - यह चुनी हुई सरकार को हिसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में मदद करता है।
 - कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिये एक अनिवार्य शर्त है।

संबंधित मुद्दे:

- **औपनिवेशिक युग का अवशेष:**
 - औपनिवेशिक प्रशासकों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लिये राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया।
 - लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु, भगत सिंह आदि स्वतंत्रता आंदोलन के दमिगजों को ब्रिटिश शासन के तहत उनके "राजद्रोही" भाषणों, लेखन और गतिविधियों के लिये दोषी ठहराया गया था।
- **संविधान सभा का मत:**
 - संविधान सभा संविधान में राजद्रोह को शामिल करने के लिये सहमत नहीं थी क्योंकि सदस्यों को लगा कि यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर देगा।
 - उन्होंने तर्क दिया कि राजद्रोह कानून को विरोध करने के लोगों के वैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को दबाने के लिये एक हथियार में बदल दिया जा सकता है।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन:**
 - मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और गणनात्मक उपयोग के कारण भारत को एक निर्याचति निरंकुशता के रूप में वर्णित किया जा रहा है।

देशद्रोह के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के विगत निर्णय:

- वर्ष 1950 की शुरुआत में [\[1950\] 1 SCR 581](#) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "सरकार की आलोचना उसके प्रति असंतोष या बुरी भावनाओं को उत्तेजित करती है [\[1950\] 1 SCR 581](#) एक न्यायोचित आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहिये जैसे कि सुरक्षा को कमजोर करना या राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकना।"
- इसके बाद दो उच्च न्यायालयों- [\[1951\] 1 SCR 101](#) (1951) मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा [\[1959\] 1 SCR 101](#) (1959) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने [IPC 124A](#) जो मुख्य रूप से देश में असंतोष को दबाने के लिये [\[1951\] 1 SCR 101](#) एवं प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
- [\[1962\] 1 SCR 101](#) (1962) मामले में देशद्रोह पर फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के पहले के फैसलों को खारज कर दिया और [IPC की धारा 124A](#) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालाँकि न्यायालय ने इसके दुरुपयोग की गुंजाइश को सीमित करने का प्रयास किया।

हाल के विकास:

- **फरवरी 2021** में सर्वोच्च न्यायालय ने एक राजनीतिक नेता और छह वरिष्ठ पत्रकारों को कथित रूप से ट्वीट करने एवं असत्यापित समाचार साझा करने हेतु उनके खिलाफ दर्ज कई राजद्रोह FIR से सुरक्षा किये।
- **जून 2021** में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दो तेलुगू (भाषा) समाचार चैनलों को **जबरदस्ती की कार्रवाई से बचाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह की सीमा को परिभाषित करने पर ज़ोर दिया।**
- **जुलाई 2021** में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें राजद्रोह कानून पर फरि से विचार करने की मांग की गई थी।
- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक कानून जो 'सरकार के प्रति असंतोष' जैसे शब्दों की असपष्ट और असंवैधानिक परिभाषाओं के आधार पर अभिव्यक्ति का अपराधीकरण करता है, वह अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध नहीं है।
- इस तरह का कानून अभिव्यक्ति पर एक दुरुतशीतन प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसका अर्थ है कलिंग सरकार द्वारा दंडित किये जाने के डर से स्वयं को सेंसर या सीमित करेंगे अथवा अपनी राय व्यक्त करने से परहेज करेंगे।

आगे की राह

- न्यायालय का हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अगर यह प्रावधान को रद्द कर देता है, तो उसे केदार नाथ के फैसले को रद्द करना होगा एवं पहले के फैसलों को बरकरार रखना होगा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उदार थे।
 - यदि सरकार भाषा को कमजोर करके या इसे नरिस्त करके कानून की समीक्षा करने का नरिणय लेती है, तो प्रावधान को एक अलग रूप में फरि से बहाल कथिा जा सकता है।
- उच्च न्यायापालकिा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानकि प्रावधानों के प्रतमिजसिड्रेट और पुलसि को संवेदनशील बनाने हेतु अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग करना चाहयि।
- भारत की कषेत्रीय अखंडता और देश की संप्रभुता से संबंधति मुद्दों को शामिल करने हेतु राजद्रोह की परभाषा को संक्षपित कथिा जाना चाहयि।

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sedition-law-10>

